

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा/62/2017

तारीख रजु 12.06.2017

### उनवान

मोहम्मद शरीफ पुत्र कल्ला जाति मुसलमान वगैरह निवासी भट्टा कॉलोनी तहसील हिण्डौन जिला करौली।

-----वादी(11)

### बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार हिण्डोन सिटी

-----प्रतिवादी

उपस्थिति:-

वादीगण की ओर से :- श्री शांतिलाल करसौलिया एडवोकेट।

प्रतिवादीगण की ओर से :-कोई उपस्थित नहीं।


### निर्णय

दिनांक 13.02.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा बाबत घोषणा खातेदारी ग्राम धंधावली तहसील हिण्डोन के खसरा नंबर 581 के संबंध में पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बार-बार आवाज दिलाने के उपरांत भी वादी पक्ष अनुपस्थित है।

अतः वादी का दावा मुकदमा नंबर 162/2017 मोहम्मद शरीफ बनाम सरकार अदम हाजरी एव अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 13.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

  
(सुरेश कुमार यादव )  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन

